न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण सं. :– 508 A / 2016

प्रार्थीगण	ब ना म	विप्रार्थीगण
1. हरीसिंह पुत्र प्रेमसिंह		1. नाथूसिंह पुत्र हेमसिंह
2. पूरो बेवा विरधसिंह जतियान राजपुरोहित निवासीयान कोरणा तहसील पचपदरा		2. भूरसिंह पुत्र हेमसिंह
		3. मोहनसिंह पुत्र हेमसिंह
		4. भंवरसिंह पुत्र शंकरसिंह
		5. मांगीदेवी बेवा शंकरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान कोरणा
		6. अणसीकंवर पत्नी मांगुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कुड़ी भगतासनी सांगरिया रोड़ जोधपुर
		7. भंवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
		8. तुलसीदेवी बेवा इन्द्रसिंह
		9. रुपसिंह पुत्र भीमसिंह
		10. शिवसिंह पुत्र भीमसिंह
		11. अर्जुनसिंह पुत्र भीमसिंह
		12. हीरो कंवर बेवा भीमसिंह
		13. जवाहरसिंह पुत्र देवीसिंह
		14. तगसिंह पुत्र देवीसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीयान कोरणा
		15. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ.

आदेश

दिनांक :– 28.03.2018

उपस्थिति :–

1. श्री सन्तोषकुमार भंसाली अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 01
3. श्री पूनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 02 ता 12
4. श्री लूणकरण शर्मा अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 13 व 14

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि मौजा कोरणा में खसरा सं. 99 रकबा 02 बीघा 01 विस्वा, खसरा सं. 104 रकबा 04 बीघा 02 विस्वा, खसरा सं. 106 रकबा 02 बीघा, खसरा सं. 108 रकबा 08 विस्वा, खसरा सं. 110 रकबा 01 बीघा 17 विस्वा, खसरा सं. 114 रकबा 02 बीघा 16 विस्वा, खसरा सं. 117 रकबा 14 विस्वा, खसरा सं. 118 रकबा 10 विस्वा, खसरा सं. 182 रकबा 01 बीघा 18 विस्वा कुल रकबा 16 बीघा 06 विस्वा एवं खसरा सं. 105 रकबा 16 बीघा 11 विस्वा, खसरा सं. 112 रकबा 04 बीघा 15 विस्वा, खसरा सं. 113 रकबा 20 बीघा 05 विस्वा, खसरा सं. 116 रकबा 03 बीघा, खसरा सं. 195 रकबा 203 बीघा 06 विस्वा कुल रकबा 247 बीघा 17 विस्वा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

अवस्थित है। लक्ष्मणसिंह के तीन पुत्र प्रेमसिंह, खीमसिंह व हेमसिंह थे, जिनमें से खीमसिंह का स्वर्गवास राजस्व सेटलमेन्ट से पुर्व हो चुका था, जिनकी एकमात्र विधिक वारिस उनकी बेवा मथरादेवी थी, जिसके कोई संतान नहीं थी, राजस्व कृषि भूमियों का पारिवारिक बँटवाड़ा किया गया, जिसमें प्रेमसिंह, मथरादेवी, हेमसिंह प्रत्येक को 1/3 हिस्सा बंट में दिया, इस प्रकार मथरादेवी को उक्त भूमियों में 1/3 हिस्सा विरासत की सम्पति में अर्जित हुई, मथरादेवी के कोई जायन्दा संतान नहीं थी, मथरादेवी ने अपने जीवनकाल के दौरान अपने परिवार के किसी भी नजदीकी रिश्तेदार को गोद नहीं लिया और न ही मथरादेवी ने अपने हक हिस्सा की आराजी का अपने जीवनकाल में कोई वसीयत आदि ही किया, मथरादेवी के देहान्त के बाद मथरादेवी के हिस्से की भुमि में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण तथा 1/2 हिस्से के खातेदार विप्रार्थी सं. 1 ता 4 हुए किन्तु विप्रार्थी सं. 01 ने राजस्व शिविर के दौरान केम्प ग्वालानाड़ में दिनांक 03.01.2002 को अपने आप को मथरादेवी का एकमात्र जायन्दा पुत्र बताते हुए वादग्रस्त आराजी का नामान्तरणकरण अपने नाम दर्ज करवा दिया, विप्रार्थी सं. 01 जो कि हेमसिंह का जायन्दा पुत्र है, उसने बदनियतिपुर्वक मथरादेवी के हिस्से की सम्पुर्ण भूमि को हड़पने की नियत से मथरादेवी का जायन्दा पुत्र बनकर फौतगी म्युटेशन अपने नाम करवाया और 247 बीघा 17 विस्वा भुमि में से 20 बीघा भुमि का अवैध रूप से विप्रार्थी सं. 06 को बेचान कर दिया, हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से वादग्रस्त आराजी की नकले ली तो विप्रार्थी सं. 01 द्वारा भरवाये गये म्यूटेशन की प्रार्थीगण को प्रथम बार जानकारी हुई जिस पर रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु विप्रार्थी सं. 01 को आग्रह किया, किन्तु वह नहीं माना, बाद में तारीख 30.09.2016 को साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि भुमि को आगे बेचान कर देगा और प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा, जिस पर प्रार्थीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बँटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, वाद पत्र के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को आगे बेचान कर दिया या प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो भारी कानुनी पेशीदगियाँ बढ़ जायेगी, अतः दौराने दावा विप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उपरोक्त भुमियों के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए आरम्भिक आपति इस आशय की प्रस्तुत की, कि प्रार्थीगण ने वर्तमान आवेदन पत्र विप्रार्थी सं. 1 की गलत वल्दियत दर्ज कर प्रस्तुत किया है, जो विधि अनुसार चलने योग्य नही है, विप्रार्थी सं. 01 की वल्दियत नाथुसिह गोदपुत्र खीमसिह है, एवं पदानुसार जवाब प्रस्तुत कर कथन किया, कि कृषि भूमियाँ खसरा सं. 99, 104, 106, 108, 110, 114, 117, 118, 182 कुल रकबा 16 बीघा 06 विस्वा में विप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है, जो पहले श्रीमती मथरादेवी पत्नी खीमसिंह के कब्जा काश्त खातेदारी का रहा है, विप्रार्थी सं. 1 मथरादेवी का गोदपुत्र होने की वजह से बतौर उतराधिकारी रेकर्ड में जरीये फौतगी नाम दर्ज हुआ, इसी प्रकार श्रीमती मथरादेवी के एकल स्वामित्व खातेदारी की कृषि भूमिया खसरा सं. 105, 112, 113, 116, 195 कुल रकबा 247 बीघा 17 विस्वा अवस्थित रही है, जब तक श्रीमती मथरादेवी जीवित रही, तब तक उक्त भूमियो का उपयोग उपभोग बतौर मालिक खातेदार मथरादेवी द्वारा किया जाता रहा, मथरादेवी के कोई जायन्दा संतान नही थी, राजपुरोहित समाज में विधवा महिला पुनर्विवाह नही कर सकती थी, ऐसी प्रथा प्रचलित रही व है, चुंकि मथरादेवी के कोई जायन्दा संतान नही थी, इस कारण मथरादेवी ने अपनी वंश परम्परा को कायम रखने हेतू स्वैच्छा से हिन्दु धर्म में प्रचलित प्रथा एवं रूढियो तथा समाज के रीति रिवाज अनुसार परिवार एवं समाज के मौजिज व्यक्तियो रिश्तेदारो के सामने विप्रार्थी सं. 1 को बाल्यावस्था में ही गोद पुत्र बनाने की इच्छा जाहिर की, जिसकी सहमति विप्रार्थी सं. 1 के जन्मदाता माता पिता ने प्रदान की, तदोपरान्त घर परिवार समाज के मौजिज व्यक्तियो के द्वारा सामाजिक रीति रिवाज अनुसार मथरादेवी के द्वारा विप्रार्थी सं. 1 गोद संवत् 2016 की गुरूपुर्णिमा को लिया। जिसकी रस्में परिवार के सदस्यो तथा समाज के व्यक्तियो की उपस्थिति में पाट बैठाकर, साफा बाधकर एवं गुड़ बाटकर अदा कर पुर्ण की, गोदपुत्र के तथ्यो का उल्लेख समाज के राव द्वारा नियमित रूप से रखी जाने वाली बही में दर्ज कर उल्लेखित किया, उक्त तथ्य इस बात से ही स्पष्ट है, कि हेमसिह के खातेदारी की जो भूमिया थी, हेमसिह के वर्ष 2004 में देहान्त के बाद जो फौतगी म्युटेशन भरे वो फौतगी म्युटेशन हेमसिह के अन्य पुत्रान शंकरसिह, भुरसिंह, मोहनसिह के नाम भरा गया, यदि विप्रार्थी सं. 1 मथरादेवी के गोद पुत्र नही होता तो हेमसिह के फौतगी म्युटेशन में विप्रार्थी सं. 01 का नाम अवश्य ही भरा जाता, इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियाँ 'ब' कभी भी प्रार्थीगण या विप्रार्थी सं. 02 ता 14 के मालिकाना स्वामित्व खातेदारी या हक की कभी भी न तो रही, और न है, उक्त भूमियाँ वक्त सेटलमेंट दिनांक 15.10.1955 से बतौर मालिक मथरादेवी के मालिकाना की रही और उनके देहान्त के बाद एक मात्र उतराधिकारी मुज विप्रार्थी सं. 01 के मालिकाना खातेदारी की रही व है, विप्रार्थी सं. 01 को मथरा देवी ने हिन्दु उतराधिकारी एवं गोद अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार तथा समाज में प्रचलित रूढियां, प्रथाओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों अनुसार गोद लिया इसकारण मथरादेवी जब तक जिन्दा रही

सहायक कलेक्टर
S.D.O. बालोतरा

Scanned by CamScanner

तब तक उनकी सेवा चाकरी बतौर पुत्र विप्रार्थी सं. 01 द्वारा की जाती रही, और मथरा देवी के देहान्त होने पर सामाजिक रीति रिवाज की रस्में पुत्र होने के नाते मुखाग्नि देकर दाह संस्कार कर अस्थियो को पवित्र गंगा नदी में विसर्जन किया, इस कारण उक्त भुमियां विप्रार्थी सं. 01 के नाम जरीये फौतगी म्युटेशन रेकर्ड में दर्ज हुई, जो सही तौर से दर्ज रही व है, मौके पर कब्जा काश्त विप्रार्थी सं. 1 का ही रहा व है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से ही स्पष्ट है कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु हुए उस वक्त ही बतौर रेकर्डेड खातेदार मथरादेवी काबिज रही, तो पारिवारिक बंटवाड़ा करवाने के तथ्य अपने आप में ही झुठे सिद्ध है, न तो पारिवारिक बंटवाड़ा करवाने की नौबत आई और न ऐसा पारिवारिक बंटवाड़ा ही हुआ, यदि ऐसा कथित पारिवारिक बंटवाड़ा होता तो आवश्यक रूप से प्रार्थीगण ऐसे पारिवारिक बंटवाड़ा किस तिथि, मिति, वार, वर्ष या स्थान का उल्लेख भी करते अलावा इसके ऐसा पारिवारिक बंटवाड़ा किसने व किसके रूबरू किया, के बारे में भी लैस मात्र भी कथन अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। मात्र वेग एवं अस्पष्ट कथन की पारिवारिक बंटवाड़ा में 1/3 हिस्सा रखना तय किया, को मानने योग्य नहीं रह जाता है, उक्त तथ्य जवाब के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात से ही स्पष्ट है, परिवार राशनकार्ड एंव मतदाता सूचियों में दर्ज अंकन तीस वर्षों से कही अधिक समय से पुराना होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों अनुसार सत्य होने की उपधारणा लेने योग्य है क्योंकि उपरोक्त सभी दस्तावेजात सार्वजनिक दस्तावेजात है, जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता, प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि मथरा देवी ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया हो और न वसीयत की हो, इस कारण मथरादेवी की जमीनों में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा हो और शेष हिस्सा विप्रार्थी सं. 01 ता 05 को हो, प्रार्थीगण का उक्त कथन गलत है कि मथरादेवी की खातेदारी भुमि में प्रार्थीगण के विधिक हक, हित निहित हो गये हो, प्रार्थीगण का उक्त कथन गलत है कि वह मौके पर मथरादेवी की भुमियों पर काबिज हो, म्युटेशन तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 03.01.2002 को पारीत किया गया, जो बिना चुनौती के पुर्ण होकर पुख्ता हो चुका है, यदि उक्त म्युटेशन सं. 758, 759 विधि विरूद्ध होते या अशुद्ध तथ्यों पर पारित किए हुए होते तो म्यूटेशन पारित किए 15 वर्षो की अवधि गुजर जाने तक प्रार्थीगण चुपचाप बैठे नहीं रहते, अतिरिक्त इसके भुमियां खसरा सं. 99, 104, 106, 108, 110, 114, 182, 117, 118 में अपने आप को 1/6 हिस्से का मालिक मानकर ऋण भी प्राप्त किया, यदि उक्त भुमियों में प्रार्थीगण का और अधिक हक हित या हिस्सा होता तो अवश्य ही विधिक परिसीमा काल में इस संबंध में कानूनी साराजोई करते, अलावा इसके प्रार्थीगण ने अपने लालच की वजह से सही तथ्यों को छुपाते हुए वर्तमान प्रार्थना प्रस्तुत किया है, श्रीमती मथरादेवी, हेमसिंह, प्रेमसिंह का परिवार सेटलमेन्ट से पहले ही जुदा–जुदा रह कर काश्त करता रहता रह रहा था, इस कारण हेमसिंह, प्रेमसिंह के नाम अलग से ही खातेदारी की भुमियां खसरा सं. 131, 173, 175, 179, 199, 200 तथा खसरा सं. 129, 191, 202 दर्ज हुई जो आज रोज भी हेमसिंह व प्रेमसिंह के नाम दर्ज है, हेमसिह व प्रेमसिह ने अन्य भूमिया खसरा सं. 177, 199/1828 मौजा कौरणा तथा मौजा जास्ती में अवस्थित रही 40 बीघा भूमि बेचान कर प्रतिफल भी प्राप्त किया जा चुका है, उक्त तथ्य प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना–पत्र में छिपाये है, जिस प्रकार खसरा सं. 131, 173, 175, 179, 199, 200, 129, 191, 202, 177, 199/1828 हेमसिंह व प्रेमसिंह के नाम दर्ज हुई, उसी प्रकार एकमात्र मालिक कब्जा काश्त वक्त सेटलमेन्ट होने से रकबा 247 बीघा 17 विस्वा भुमि श्रीमती मथरादेवी के नाम दर्ज हुई, जिसमें कोई हक, हित, अधिकार प्रार्थीगण का या अन्य विप्रार्थी सं. 02 ता 14 का नहीं है, सही तथ्य तो यह है कि प्रार्थी सं. 1 एवं उसकी संतान की नियत में खोट आ गया, इसी खोट की वजह से वादग्रस्त भूमियो को हड़प करने की बदनियति के रहते वर्तमान प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया है, ताकि तंग परेशान करके विप्रार्थी सं. 1 से रकम ऐठी जा सके, साथ ही विशेष कथन किया कि, विप्रार्थी सं. 1 की गोद माता मथरादेवी ने अपनी स्व–अर्जित कृषि भूमियो के मौके पर कब्जा प्राप्त किया, तदोपरान्त उक्त हिस्सा गोद पुत्र मुझ विप्रार्थी सं. 1 के नाम जरिये फौतगी म्यूटेशन दर्ज हुआ । इस प्रकार उक्त भूमि कभी भी पैतृक सम्पति नहीं रही और न उक्त भूमि में प्रार्थीगण या अन्य किसी का कोई हिस्सा ही कभी रहा, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टियां काबिल खारिज हैं प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना पत्र में विप्रार्थी सं 1 के गोद पुत्र होने के बिन्दू को उठाया जाकर राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत किया हैं, जिसकी विधि के अन्तर्गत मुमानियत हैं, क्योंकि गोद पुत्र के बिन्दू को राजस्व न्यायालय में न तो उठाया जा सकता है और न गोद जाने की वैधता या विधि मूल्यता को परखने या जांचने का कोई क्षेत्राधिकार श्री राजस्व न्यायालय को प्राप्त ही है, प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं, जिससे यह साबित हो, कि उक्त सम्पति पैतृक सम्पति हो, राजस्व विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि काबिज रेकर्डेड खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो तुलनात्मक असुविधा विप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक होगी।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

विप्रार्थी सं. 02 ता 12 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि, भूमियाँ खसरा सं. 105, 112, 113, 116, 195 कुल रकबा 247.17 बीघा प्रार्थीगण या विप्रार्थी सं. 2 ता 14 के खातेदारी कब्जा काश्त की नही रही, उक्त भूमियाँ एकल खातेदारी कब्जा मालिकाना श्रीमति मथरादेवी की रही, मथरा देवी के देहान्त के बाद एक मात्र वारिस गोद पुत्र नाथुसिह विप्रार्थी सं. 1 के मालिकाना स्वामित्व की रही, मथरादेवी कभी भी लाऔलाद फौत नही हुई, बल्कि मथरादेवी ने अपने जीवन काल में ही स्वैच्छा से अपने वंश परम्परा को कायम रखने हेतु नाथुसिंह को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद लिया था, जो हेमसिह एवं हेमसिह की पत्नी द्वारा स्वैच्छा से गोद दिया था, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य कभी भी पारिवारिक बंटवाड़ा नही हुआ, और न ऐसा करने की नौबत ही आई, मथरादेवी ने अपने जीवनकाल मे विप्रार्थी सं. 1 को हिन्दु धर्म की रीति रिवाज अनुसार तथा राजपुरोहित समाज में प्रचलित प्रथाओ अनुसार तथा समाज एवं परिवार की सदस्यों की उपस्थिति में गोद लिया, तथा गोद की रस्में साफा बाधकर, पाट बैठाकर, गुड बाटकर संवत् 2016 की गुरू पुर्णिमा को गोद लिया, तब से नाथुसिह मथरादेवी व खीमसिह का गोद पुत्र के नाम से ही जाना जा रहा है, इस वजह से मथरादेवी के मालिकाना स्वामित्व की भूमि का नामान्तरणकरण मथरादेवी के फौत होने पर सही तौर से पारित किया, उक्त तथ्य की जानकारी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 ता 14 को शुरू से ही रही है, उसमें किसी भी पक्ष को कोई उजर या एतराज नही था, विप्रार्थी सं. 1 हेमसिह का जायन्दा पुत्र अवश्य है, किन्तु नाथुसिह की जिस वक्त उम्र 8 से 10 वर्ष के लगभग थी, उस वक्त नाथुसिह को मथरादेवी ने गोद ले लिया था, इस कारण हेमसिह के देहान्त पर हेमसिह की भूमि में पारित नामान्तरण फौतगी म्युटेशन में नाथुसिह का नाम नही भरा गया। विप्रार्थी सं. 1 ने अपने मालिकाना खातेदारी भूमि का सही तौर से हिस्सा बेचान किया है, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो तुलनात्मक असुविधा विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की अपेक्षा अधिक होगी।

विप्रार्थी सं. 13 व 14 जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि, वादग्रस्त भुमियों में उनका रहवास है, ढ़ाणियां बनी हुई है, सजरा अधुरा पेश किया है, विप्रार्थी सं. 13 व 14 प्रेमसिंह के रिश्ते में सगे काकाई भाई लगते है, उनका कब्जा सामलाती मे कई पीढियों से चला आ रहा है, मथरादेवी लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा प्रेमसिंह व हेमसिंह के हिस्से मे वेस्ट हो गया, नाथुसिंह ने राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके मथरादेवी के नाम की खातेदारी भुमि हड़प करने की नियत से अपने नाम करवा ली है, 'अ' भुमियों में विप्रार्थी सं. 13 व 14 का 1/3 हिस्सा है, विप्रार्थी सं. 01 ने खीमसिंह का जायन्दा पुत्र होने बाबत् कोई रेकर्ड पेश नहीं किया है, मथरादेवी अपने जेठ प्रेमसिंह के साथ रहती थी, प्रेमसिंह की मृत्यु से बाद हरीसिंह के साथ रहती थी, मथरादेवी ने मृत्यु से पुर्व किसी को गोद नहीं लिया, विप्रार्थी सं. 01 ने गोद के झुठ मुठ ही तथ्य खीमसिंह का जायन्दा पुत्र होने बाबत् बताये जो गलत है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, म्युटेशन की जानकारी हम विप्रार्थी सं. 13 व 14 को पुर्व सरपंच ढलकी के द्वारा देने पर हुई।

सभी पक्षकारान की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि दौराने दावा भुमि आगे बेचान की जाती है तो उन्हें क्षति होगी, विप्रार्थी सं. 01 ने गलत, झुठा, फर्जी प्रार्थना पत्र केम्प में पेश कर अपने नाम म्युटेशन करवाया है जो गलत है, दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा से विप्रार्थी सं. 01 को पाबन्द किया जावें, साथ ही कथन किया कि विप्रार्थी सं. 02 ता 14 के विरूद्ध प्रार्थीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है।

वकील विप्रार्थी सं. 02 ता 12 ने दौराने बहस कथन किया कि विप्रार्थी सं. 06 सद्भाविक क्रेता है, उसके अधिकार सुरक्षित है, विप्रार्थी सं. 06 ने 247 बीघा 17 विस्वा भुमि में से खातेदार से 20 बीघा भुमि खरीद की है, इसलिए उसके विरूद्ध कोई अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जावें।

वकील विप्रार्थी सं. 13 व 14 ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थीगण का समर्थन करते हुए अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

वकील विप्रार्थी सं. 01 ने दौराने बहस अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से मामला लेकर आना चाहिए तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए और न ही तथ्यों में कोई तरोड़ मरोड़ करना चाहिए। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टियां मामला नहीं बनता है, यदि दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण की तुलना में विप्रार्थी सं. 01 को अधिक असुविधा होगी, अलावा इसके विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध बेवजह अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया, साथ ही जवाब विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के दस्तावेजात, विप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात तथा पत्रावली का एवं पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन अध्ययन किया, और मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि भुमिया खसरा सं. 105, 113, 116, 195 कुल रकबा 247 बीघा 17 विस्वा संवत् 2018 से 2061 तक श्रीमती मथरा बेवा खीमा के एकल खातेदारी में दर्ज रही है, ताबाद म्युटेशन सं. 758 दिनांक 03.01.2002 की स्वीकृति अनुसार विप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज की गई, उसके बाद संवत् 2070–73 तक नाथुसिंह के नाम दर्ज रही, जिसमें से खसरा सं. 195 के रकबे में से 20 बीघा भुमि विप्रार्थी सं. 01 द्वारा विप्रार्थी सं. 06 को बेचान की गई, म्युटेशन सं. 758, 759 राजस्व केम्प में भरा जाकर भुमिधारक द्वारा पारित किया गया, उक्त म्युटेशन दिनांक 03.01.2002 को पारित हुआ, उक्त म्युटेशन के विरूद्ध कोई कार्यवाही वर्तमान प्रकरण से पुर्व प्रार्थीगण द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय में कानुनी साराजोई की हो, ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने नाम सरहद मौजा केारणा में अवस्थित कुल 107 बीघा 19 विस्वा भुमि कैसे और किस माध्यम से दर्ज हुई, के संबंध में लैस मात्र भी कथन वर्तमान प्रकरण में नहीं किया है, विप्रार्थी सं. 01 द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र, मतदाता सूचियां एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, कुछ दस्तावेजात सन् 1968, 1980, 1998 के है, जो वर्तमान प्रकरण से वर्षो पुर्व के है, उक्त दस्तावेजात में विप्रार्थी सं. 01 की वल्दियत नाथुसिंह पुत्र खीमसिंह दर्ज है, उपरोक्त सभी दस्तावेजात जो लोक दस्तावेज रहे है, जो किस प्रकार से अशुद्ध है, या ऐसे दस्तावेज पर क्यों नहीं विश्वास किया जावें, के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं हुए है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं दस्तावेजात को मध्य नजर रखते हुए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टिया मामला बनना नहीं पाया जाता है, इस कारण यदि दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो तुलनात्मक असुविधा व क्षति प्रार्थीगण की अपेक्षा विप्रार्थी सं. 01 को अधिक होगी, क्योंकि विप्रार्थी सं. 01 रेकर्डेड खातेदार टिनेन्ट है, विप्रार्थी सं. 01 का नाम रेकर्ड में दर्ज होने के करीब 14–15 वर्षो तक प्रार्थीगण चुप क्यों रहें जबकि म्युटेशन के तथ्यों की जानकारी प्रार्थीगण को शुरू से रही है, इस संबंध में प्रार्थीगण ने कोई कथन नहीं किया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान प्रकरण प्रार्थीगण ने बदनियतिपुर्वक प्रस्तुत किया है जो खारिज कियें जाने योग्य है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से लागु नहीं होते है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार हमारी विनम्र राय में प्रार्थीगण अपने पक्ष में दौराने दावा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी करने के आधार प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णिय क्षति में से एक भी आधार अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर मुल वाद के साथ नत्थी रहे।

आदेश आज तारीख 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner